संख्या-16/2025/57-1099-35-2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ दिनांक : 24 जून, 2025

विषय:- जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्राचीन धरोहरों, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के भवनों, स्थलों आदि को संरक्षित स्मारक घोषित किये जाने हेतु प्रदेश के राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में यह अनुभव किया गया है कि इस सूची में सम्मिलित प्रदेश के कई जनपदों में अवस्थित जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों की स्थिति अत्यन्त जर्जर है, जिनके जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण हेतु प्रदेशवासियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा पत्राचार के माध्यम से समय-समय पर शासन से अनुरोध किया जाता रहा है।

2- उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाते है:-

(1) इसके अन्तर्गत उन्हीं मन्दिरों का जीर्णोंद्धार/पुनर्निर्माण किया जायेगा, जो जनोपयोगी तथा धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के होंगे तथा उत्तर प्रदेश के राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित होगें।

(2) उन मन्दिरों का जीर्णोंद्धार/संरक्षण पहले किया जायेगा, जहां अधिक संख्या में दर्शनार्थी, श्रद्धालु एवं पर्यटक आते होंगे तथा जिनकी स्थिति अधिक जर्जर होगी।

(3) संलग्न निर्धारित प्रारूप पर राज्य पुरातत्व विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावों/आगणन को निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशालय स्तर पर तकनीकी समिति का गठन कर जनोपयोगी मंदिर के जीर्णोंद्धार सम्बन्धी प्रस्तावों/आगणनों का परीक्षण किया जायेगा। उक्त तकनीकी समिति में पुरातात्विक संरक्षणविद् एवं मंदिर वास्तु विशेषज्ञ (Temple

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Architecture specialist) को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्पष्ट संस्तुति सहित सुविचारित प्रस्ताव सूचीबद्ध करते हुये शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) शासन को उपलब्ध कराये गये जीर्णोद्धार सम्बन्धी प्रस्ताव को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो जीर्णोद्धार हेतु मन्दिरों का चयन करेगी। उक्त समिति का स्वरूप निम्नवत् होगाः-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग या उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	सदस्य
3.	निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, उ0प्र0।	सदस्य
4.	INTACH के स्थानीय प्रतिनिधि	सदस्य
5.	फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग, ए0पी0जे0अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के नामित प्रोफेसर।	सदस्य
6.	सेवानिवृत्त पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)	सदस्य
7.	निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ अथवा उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय से अनिम्न अधिकारी।	सदस्य सचिव

(6) समिति द्वारा आय-व्ययक में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संरक्षण/सुदृढ़ीकरण हेतु जनोपयोगी मन्दिरों का चयन किया जायेगा।

(7) उन जनोपयोगी मन्दिरों के जीर्णोद्धार/संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिनके लिए स्वयं के स्रोतो या अन्य स्रोतों यथा-दान/सी.एस.आर. फण्ड इत्यादि के माध्यम से जीर्णोद्धार की लागत की 50 प्रतिशत धनराशि वहन की जायेगी।

(8) उक्त गठित समिति की संस्तुति पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित स्थल का यथावश्यकता राज्य पुरातत्व निदेशालय अथवा इंटैक (INTACH) जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से जीर्णोद्धार की कार्यवाही की जायेगी।

(9) शासन स्तर की उपरोक्त समिति की प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करने हेतु गैर-सरकारी सदस्यों को अनुमन्य मानदेय प्रदान किया जायेगा।

(10) अपरिहार्य परिस्थितियों में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए समुचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लि0, लखनऊ।
9. कुल सचिव, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-16/2025/57-1099-35-2024, दिनांक- 24.06.2025 का संलग्नक-

प्रदेश में संरक्षित/जनोपयोगी मन्दिरों के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव का प्रारूप-

---

1	जनपद का नाम	
2	मन्दिर का नाम व पता	
3	पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित होने की तिथि (आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी)	
4	मन्दिर की भूमि का राजस्व अभिलेखों के अनुसार स्वामित्व का विवरण सहित (इस सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों को संलग्न किया जायेगा)	
5	जनोपयोगी मन्दिर का क्षेत्रफल (सम्बन्धित स्थल की चौहद्दी इत्यादि का उल्लेख करते हुए)	
6	मन्दिर का इतिहास एवं धार्मिक महत्व। (इसके अन्तर्गत सम्बन्धित मन्दिर के देवता, उक्त स्थल की ऐतिहासिकता/पौराणिकता, स्थल पर होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों आदि का विवरण)	
7	मन्दिर की अन्य सम्पत्तियाँ। (इसके अन्तर्गत कृषि/आवासीय भूमि/मकान/दुकान/स्कूल/चिकित्सालय इत्यादि का विवरण पूर्ण अभिलेखों सहित)	
8	मन्दिर की वार्षिक आय यदि कोई हो, तो विवरण सहित उल्लेख करे।	
9	मन्दिर का वर्तमान प्रबन्धन का विवरण।	
10	मन्दिर के संरक्षण/सुदृढ़ीकरण का औचित्य।	
11	मन्दिर आदि के जीर्णोद्धार/मरम्मत आदि की अनुमानित लागत का विवरण।	
12	मन्दिर के जीर्णोद्धार/मरम्मत के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख कार्यो का विवरण।	
13	क्या मन्दिर के जीर्णोद्धार/मरम्मत की लागत का 50 प्रतिशत व्यय दान या अन्य किसी माध्यम से वहन किये जाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण।	
14	मन्दिर का नवीनतम् फोटोग्राफ तथा उक्त स्थल का Drone Video View & Google Earth Map View	
15	अन्य कोई बिन्दु, जिसका उल्लेख किया जाना अपेक्षित हों, का विवरण।	

जिलाधिकारी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।